

वकील पत्रावली ने जिरद को। एम्बेज
पर आपसे होते पर जिरद वजन जेफ
विषे अपे। पत्रावली वजि कपान
जिरद हेड डिनांक 6.4.18 को पेश हो।

Smch
22.3.18

6.4.18

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उप-
पत्रावली वास्ते वमान जिरद हेड डिनांक
4.5.18 को पेश हो।

Smch
6.4.18

27.4.18

पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही
हेतु न्याय आगमके द्वारा न्याय स्थल... मनोहरपुरा में दि. 18.05.18 को
पेश हो।

दाखल
दस्तावेज

18.05.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय
आफि डार कैम्प कोर्ट मनोहरपुरा में पेश हुई।
प्रतिवादी से. 1 व 3 उपस्थित जिनकी पहचान
सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा में की है।
उपस्थित मौतकिरान से वादग्रस्त भूमि के
सम्बन्ध में जानकारी ली गई तथा कैम्प
कोर्ट स्थल मनोहरपुरा में ही वदमीलदार
वस्ती से रिकार्ड का अवलोकन किया।

श. कुलकर्णी
सरपंच,
शंकुन्ताला देवी वीना
ग्राम पंचायत मनोहरपुरा
बंसा नन्दी (जयपुर)

पत्रावली का अवलोकन व प्रतिवादी को
वादपत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतकिरान
से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी
लाने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु
गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त
आराजी खसरा नं. 60 रकबा 6 बीघा 8 किस्वा


Smch

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>खाला नं. 74 रकबा 3 बीघा 14 लिस्वा, खाला नं. 15 रकबा 1 लिस्वा, खाला नं. 47 रकबा 10 बीघा 17 लिस्वा, खाला नं. 8/1 रकबा 1 बीघा 7 लिस्वा, खाला नं. 6 रकबा 4 बीघा 15 लिस्वा वाडे ग्राम अखैपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में रिकार्ड अनुसार वादिया के दर्ज हिस्से की भूमि प्राप्त करने के पश्चात समस्त भूमि का वादिया द्वारा लेचान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पचा जारी हो। पत्रावली नम्बर सैकम हो।</p> <p>आज दिनांक 18.05.2018 को यह निर्णय न्याय आफिस द्वार कैम्प कोर्ट मनोहरपुर में मजमे आम में सुनाया गया।</p>	


 18.5.18
 सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बस्सी जिला ज-5

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. छोटी पुत्री नर्बदा पत्नि रामेश्वर जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम अखैपुरा व हाल निवासी ढाणी खेडा तह. बस्सी।		1. ताराचंनद पुत्र रामगोपाल 2. रुकमणी बेवा रामगोपाल जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम अखैपुरा तह. बस्सी। 3. हरसहाय 4. बंशी 5. रामोतार पुत्रान किशनलाल जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम भाजूपुरा तह. बस्सी। 6. गोपाल 7. हरिनारायण 8. भगवानसहाय पुत्रान नाथूराम समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम अखैपुरा तह. बस्सी। 9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी। 10. उपपंजीयक बस्सी। 11. ग्राम पंचायत मनोहरपुरा जरिये सरपंच तह. बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 66/16

निर्णय दिनांक 18.05.2018

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 60 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 74 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, ख. नं. 15 रकबा 1 बिस्वा, ख.नं. 47 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, ख.नं. 8/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 6 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम अखैपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में रिकार्ड अनुसार वादिया के दर्ज हिस्से की भूमि प्राप्त करने के पश्चात समस्त भूमि का वादिया द्वारा बेचान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.2018 को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त.....


ओहदा.....

Bnd
18.5.18
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी	X	X	स्टाम्प अर्जी	X	X
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा	हुक्मनामा				
मुतफरिक	मुतफरिक				
मीजान	मीजान				

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


 सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बस्सी जयपुर